संख्या-55/2020/1030/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च 2020

विषयः-**वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि को व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6125/सक/शिक्षा-अ/2/10/2019-20, दिनांक-26.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि को व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर उपलब्ध धनराशि रू0-236.90 लाख व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या-55/2020/1030 (1)/26-3-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय,समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।